फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सेशन न्यायाधीश, अजमेर

राजस्थान राज्य बनाम रनवीर उर्फ रणजीत

सेशन प्रकरण संख्या 01/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.01.2025 | लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त रनवीर उर्फ रणजीत न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के.मेहरा उपस्थित।<br>उभय पक्ष की चार्ज बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।<br>प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत चार्जशीट के साथ संलग्न तहरीर रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका,फर्द जब्ती, फर्द पंचायतनामा, फर्द सुपुर्दगी लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, फर्द इत्तला धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त, फर्द तस्दीक नक्शा मौका, फर्द जब्ती, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका, फर्द पेशकशी व जब्ती चांस प्रिंट, फर्द तस्दीक बवक्त घटनाक्रम आवागमन मार्ग,फर्द पेशकशी व जब्ती फोटोग्राफ, फर्द जब्ती घटनास्थल के घटनाक्रम सीन रिक्रेट की वीडियोग्राफी डी.वी.डी.,प्रमाण–पत्र धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट, फर्द विश्लेषण व जब्ती पैन ड्राईव, एफ.एस.एल. रिपोर्ट, कथन गवाहान व अन्य सुसंगत दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त इस स्तर पर प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1) व 238(बी) भारतीय न्याय संहिता का आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार होने से, अभियुक्त को उक्त धारा के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप सुन–समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।<br>अभियोजन साक्ष्य सूची के गवाहान को निम्न प्रकार से जरिये जमानती वारंट 1,000/–रूपये के तलब किया जावे–<br>दिनांक 10.02.2025 गवाह संख्या 1, 2<br>दिनांक 11.02.2025 गवाह संख्या 3, 4<br>दिनांक 12.02.2025 गवाह संख्या 5, 6<br>पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 10.02.2025 को पेश हो, तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ायी जाती है। | |